सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

पौष 22, शुक्रवार, *शाके* 1945-जनवरी 12, 2024
Pausa 22 Friday , Saka 1945- January 12 , 2024

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटटियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

जयपुर जनवरी 12, 2024

संख्या **एफ.7(76/4)रालसा/संस्था-पीएलए अध्यक्ष नियु.पत्रा./2024/22:-** माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अभिशंषा पर, राजस्थान सरकार, विधि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की आज्ञा संख्या पं.8(7)विधि-2/विरस(39)/2002 पार्ट II/09 दिनांक 08.01.2024 द्वारा अनुमोदन उपरान्त, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी एवं तत्संबंधित नियम स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अन्य निबंधन एवं शर्तो) नियम, 2003 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निम्न जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालयों पर संस्थापित स्थाई लोक अदालत में सेवानिवृत्त या निवर्तमान न्यायिक अधिकारीगण की पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति एवं पदस्थापन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित) एवं स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अन्य निबंधन एवं शर्तो) नियम, 2003 (यथा संशोधित) एवं इस प्राधिकरण के द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों के अधीन वर्तमान में कार्यरत जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त प्रभार को समाप्त करते हुए पूर्णकालिक अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत के पद पर एतद्द्वारा नियुक्ति निम्न प्रकार की जाती हैः-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (वरीयता के अनुसार) (सर्व श्री/श्रीमती)	स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष पद हेतु पदस्थापन स्थान	स्थाई लोक अदालत का क्षेत्राधिकार
1	गजेन्द्र पाल मोघा	अलवर	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
2	सुकेश जैन (सेवानिवृत्ति तिथि 31.01.2024)	जोधपुर महानगर	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
3	सुरेश प्रकाश भट्ट	धौलपुर	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
4	बुद्धिप्रकाश छंगाणी	प्रतापगढ़	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
5	इन्दु पारीक	चूरू	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
6	सूर्य प्रकाश काकड़ा	अजमेर	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
7	मनोज कुमार सहरिया	श्रीगंगानगर	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
8	अजय कुमार शर्मा-II (सेवानिवृत्ति तिथि 29.02.2024)	झालावाड़	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र

01. क्रम सं. 1 से 8 पर अंकित अधिकारीगण को आदेश का राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

02. उक्त नियुक्तियां विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी एवं तत्संबंधित नियम स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अन्य निबंधन एवं शर्तों) नियम, 2003 एवं प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होगी।

03. उक्त स्थानों पर उपलब्ध ए.डी.आर. भवन/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भवन में स्थाई लोक अदालत का संचालन होगा।

04. क्रम सं. 1 से 8 पर अंकित अधिकारी की नियुक्ति प्रारम्भिक तौर पर कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

प्रमिल कुमार माथुर,
सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।